1.19 स्थानान्तरण प्रमाण –पत्र जारी करने की प्रक्रिया

स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र छात्र / छात्रा द्वारा विद्यालय त्यागने का प्रमाण है. अतः जारी करने से पूर्व–

1. छात्र–छात्रा अथवा संरक्षक का आवेदन पत्र प्राप्त कर संस्था प्रधान आज्ञा प्रदान करेगा ।
2. निर्धारित शुल्क कक्षा 9 से 12 तक 5/–रुपये जमा करना तथा रसीद देना ।
3. टी.सी. जारी करने की तिथि तक की प्रविष्टियाँ स्कॉलर रजिस्टर मे पूर्ण करना यह सुनिश्चित करना कि छात्र के संबंधित सभी प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुके है। बोर्ड परीक्षा परिणाम का इन्द्राज समाचार पत्र में प्रकाशित परिणामो के आधार पर नही करना चाहिए ।
4. यह सुनिश्चित करे कि छात्र ने शुल्क अथवा विद्यालय से प्राप्त सामग्री जमा करा दी है ।
5. लिपिक छात्र के स्कॉलर पृष्ठ की प्रति बनाएगे जिसे संस्था प्रधान प्रमाणित करेंगे।
6. टी.सी. की द्वितीय प्रति 10/– रुपये के स्टाम्प पर हलफनामे को प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है। टी. सी. शुल्क 5/–रुपये है ।
7. छात्र के स्कॉलर पृष्ठ पर छात्र/छात्रा अथवा संरक्षक से प्राप्ति रसीद लेकर टी. सी. दी जाए।
8. यदि छात्र दूसरे राज्य मे अध्ययनार्थ टी.सी. ले रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराने का सुझाव दे।
9. टी.सी. जारी करने का रजिस्टर (टी.सी. इश्यु रजिस्टर) मे प्रविष्टि करे एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर से नाम पृथक करे ।
10. यदि टी.सी. सत्र के मध्य दी जाती है तो उस सत्र मे छात्र से वसूल किए गये शुल्क का ब्यौरा मय रसीद एवं शुल्क मे छूट का आधार टी.सी. पर अंकित करें।

1.20 जन्म तिथि परिवर्तन

संस्था मे प्रवेश के समय आवेदन पत्र मे घोषित जन्म तिथि का उल्लेख स्कॉलर रजिस्टर मे किया जायेगा। पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण से जन्म तिथि का सत्यापन किया जायेगा। जन्म तिथि मे परिवर्तन निर्धारित प्रक्रिया हेतु छात्र के माता पिता आवेदन करे तो प्रकरण मे सुधार किया जा सकेगा।

1.21 जन्म तिथि परिवर्तन के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाने के पूर्व

निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए।

1. छात्र अध्ययनरत हो ।
2. माता पिता /अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न होने चाहिए ।
    1. प्रथम प्रवेश के आवेदन पत्र की प्रति ।
    2. ग्राम पंचायत/नगर पालिका से प्राप्त जन्म प्रमाण–पत्र की प्रति ।
    3. माता–पिता का शपथ पत्र जिसमे जीवित व मृत संतानो की जन्म तिथि का भी उल्लेख हो ।
    4. दो पडोसियो/रिश्तेदारो के शपथ पत्र ।
    5. जन्म तिथि, जन्म कुण्डली ।
    6. अध्ययनरत विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर पृष्ठ की प्रति, पूर्व विद्यालय के टी.सी. की प्रति, प्रवेश आवेदन की प्रति।

3. अग्रेषित करने वाले संस्था प्रधान की टिप्पणी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) को भेजे जावेंगे। प्रकरण की जाँच कर वस्तु स्थिति से संतुष्ट होने पर जिला शिक्षा अधिकारी जन्म तिथि परिवर्तन के आदेश की प्रति स्कॉलर रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठ पर चिपकाई जाएंगी आदेश संख्या, दिनांक स्कॉलर पृष्ठ पर लिखकर संशोधन अंकित किया जाए एवं संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाए।

1.22 नाम/उपनाम परिवर्तन

1. छात्र के पिता के नाम में परिवर्तन के प्रकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं होंगे।
2. केवल अध्ययनरत छात्र–छात्रा के प्रकरण ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
3. छात्र–छात्रा अथवा अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्न हो –
   1. अधिकृत न्यायालय का मूल प्रमाण–पत्र / शपथ पत्र जिसमें छात्र, पिता का नाम, वर्तमान शाला व कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं, प्रमाणित हो।
   2. मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार पत्र (राज्य स्तर के) में प्रकाशित विज्ञापन ।
   3. अभिभावक से लिखित घोषणा की छात्र के नाम परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए वह उत्तरदायी होगा ।
   4. प्रवेश आवेदन–पत्र की प्रति ।
   5. पूर्व विद्यालय का टी.सी. ।
   6. छात्र से सम्बन्धित स्कॉलर की प्रतिलिपि ।
   7. संस्था प्रधान की टिप्पणी ।
   8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रकरण की जांच करेंगे व संतुष्ट होने पर आदेश जारी करेंगे ।
   9. संस्था प्रधान आदेश संख्या दिनांक अंकित कर नाम/उपनाम में संशोधन करेंगे एवं प्रमाणित करेंगे।

1.23 बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने के पश्चात जन्म तिथि नाम उपनाम में संशोधन की प्रक्रिया । (मा.शि.बो. के नियमानुसार)

1. साधारणतः बोर्ड कार्यालय के अभिलेखों में जन्म–तिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम, उपनाम एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. यदि छात्र के प्रवेश आवेदन पत्र से स्कॉलर रजिस्टर में अथवा स्कॉलर रजिस्टर से परीक्षा आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करने में कोई अन्तर रह गया है तो अग्रेषण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय का मूल रिकॉर्ड जांच करने हेतु बोर्ड कार्यालय में भेजने पर ही संशोधन करने पर विचार किया जा सकेगा।
3. जन्म तिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम, उपनाम प्रत्येक संशोधन हेतु बोर्ड नियमानुसार पृथक–पृथक संशोधन शुल्क प्रस्तुत करने पर कार्यवाही होगी ।
4. वर्तनी अशुद्धि को संशोधन करवाने हेतु सम्बन्धित शाला द्वारा प्रमाणीकरण करा कर बोर्ड नियमानुसार शुल्क भेजने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।
5. उपर्युक्त संशोधन हेतु पाँच वर्ष के पूर्व के मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
6. बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्र किसी सम्बन्धी के गोद जाता है तो उसके पिता के नाम के स्थान पर गोद गये सम्बन्धी का नाम किसी आधार पर नहीं बदला जायेगा ।